न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी
(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **48/2017 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री नवरतनमल पिता पूरणमल जोशी नि0 11/473 , जोशी भवन, चर्च रोड़, आजाद नगर, भीलवाडा	बनाम	1.लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द 2.सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द
—अपीलार्थी		—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 14/06/2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द के विरूद्ध दिनांक 17.05..2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 15/03/2017 का एक आवेदन मय निर्धारित शुल्क 10/–रूपये पोस्टल ऑर्डर संख्या 35एफ 762848 एवं 762851 प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द को प्रस्तुत कर सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 15/03/2017 की प्रतियां अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 17/05/2017 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सूचना पत्र जारी किया गया। तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द ने अपने पत्रांक/रीडर/2017/662 दिनांक 21.03.2017 से तहसीलदार आसीन्द को अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत स्थानान्तरित करते हुए सूचना

जिला कलक्टर भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अपीलान्ट को उपलब्ध कराने तथा इसकी प्रति स्वयं को प्रेषित करते हुए तहसीलदार आसीन्द सें सम्पर्क हेतु लिखा गया। प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द ने अपने पत्रांक /रीडर/171 दिनांक 17.03.2017 से अपीलार्थी को पत्र स्वयं को उपलब्ध कराया जिसमें अंकित किया कि वर्ष 1980 के पश्चात आवंटन रेकार्ड उपखण्ड कार्यालय में रखा जाने लगा है। अतः आवंटन पत्रावली बाबत उपखण्ड कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करे। इसके पश्चात लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द ने अपने पत्रांक/रीडर/2017/1236 दिनांक 25.05.2017 से तथ्यात्मक प्रतिवेदन भिजवाते हुए अवगत कराया कि आवंटन भूमि नियमन सम्बन्धी रिकॉर्ड उपखण्ड कार्यालय गुलाबपुरा से इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है उपखण्ड क्षैत्र आसीन्द/बदनोर का भूमि नियमन का रेकार्ड मंगाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। वांछित पत्रावली प्राप्त होते ही अपीलार्थी को उपलब्ध करादी जावेगी। उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा ने अपने पत्रांक/रीडर/2016/1257 दिनांक 31.08.2016 से उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द को लिखा कि कृषि भूमि आवंटन सम्बन्धी आसीन्द क्षेत्र की 1975 से 2006 तक की पत्रावलियां पत्रांक/आवंटन/12/85 दिनांक 17.10.2012 से प्रेषित की जा चुकी है। जिसकी प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए सूचना उपलब्ध कराने हेतु उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द को लिखा गया।

प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द के द्वारा अपीलान्ट के आवेदन दिनांक 17.05.2017 से जो सूचना चाही गई वह अपीलान्ट को नियत अवधि में उपलब्ध नहीं कराया जाना प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है। यह सही है कि वर्ष 1982 में राजस्व अभियान के दौरान उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा के स्तर से भूमि आवंटन/नियमन की पत्रावलियों का निस्तारण किया गया। उस समय आसीन्द केवल तहसील थी न कि उपखण्ड कार्यालय तथा आवंटन/नियमन के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को होने से यह कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के कार्यालय से सम्पादित हुई है। उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रत्युत्तर क्रमांक/रीडर/2016/1257 दिनांक 31.08.2016 में लिखा गया कि उनके पत्रांक/आवंटन/12/85 दिनांक 17.10.2012 से वर्ष 1975 से 2006 तक का कृषि भूमि आवंटन का तहसील क्षेत्र आसीन्द का समस्त रिकॉर्ड भिजवाया जा चुका है परन्तु इसकी पुष्टि में रिकॉर्ड की कोई सूची इस न्यायालय में अपने पत्र के साथ उपलब्ध नहीं कराई है। उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के पास रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो उसके स्तर से सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। परन्तु यह भी सही है कि आवंटन सम्बन्धी रिकॉर्ड तहसील कार्यालय आसीन्द में भी उपलब्ध है एवं उपखण्ड अधिकारी,आसीन्द जब से अस्तित्व में आया उस दिनांक या उसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के कार्यालय से जो भी

जिला कलक्टर भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

आवंटन सम्बन्धी रिकॉर्ड प्राप्त हुआ हो उसकी सूची का उपलब्ध रिकॉर्ड से मिलान करे तथा पूर्ण सन्तुष्ट होने पर अपीलार्थी को वांछित पत्रावली की सूचना के सम्बन्ध में सूचित करते हुए इस कार्यालय को गुलाबपुरा से प्राप्त आवंटन/नियमन सम्बन्धी पत्रावलियों की सूची के साथ रिपोर्ट भिजवावें। साथ ही उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा को भी निर्देशित किया जाता है कि वे भी अपने कार्यालय से तहसील क्षेत्र आसीन्द का जो भी आवंटन/नियमन सम्बन्धी रिकॉर्ड उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द को भिजवाया गया था उसकी सूची इस कार्यालय को भिजवावें। सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जो भी सूचना कार्यालय में उपलब्ध है उसे उपलब्ध कराने के प्रावधान है। अपीलान्ट के द्वारा वर्ष 1982 में राजस्व अभियान के दौरान किए गए आवंटन सम्बन्धी कार्यवाही की पत्रावली की नकल चाही गई है जो दिया जाना उचित होने से अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द को आदेशित किया जाता है कि ग्राम गोरण्डिया पटवार हल्का बाजून्दा तहसील बदनोर में श्री उदा पिता गुमान भील को पत्रावली संख्या 33/81 निर्णय दिनांक 18.05.1982 से सम्बन्धित पत्रावली की आपके कार्यालय से एवं उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के कार्यालय से सम्पर्क कर वांछित पत्रावली के सम्बन्ध में अपीलार्थी को एक माह में सूचना उपलब्ध कराते हुए की गई कार्यवाही की प्रति इस कार्यालय को भिजवावें। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द तथा उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 14/06/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा